

न्यायालय: उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

स्वत्व वाद सं० 22/21

हीरामति कुंअर.....वादीगण

बनाम

महिन्द्र साह.....प्रतिवादीगण

Date of
order of
proceeding

Order with the signature of the Court

Office action
taken with
date

12-02-2026

वादी अनुपस्थित । वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद दिनांक 12.02.2021 को संस्थित किया गया। दिनांक 09.09.2025 को न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि वादी प्रस्तुत वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करें। दिनांक 29.10.2025 को न्यायालय द्वारा वादी को निर्देश दिया गया कि वाद में उचित पैरवी करें अन्यथा उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा परंतु प्रस्तुत मामले के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में वादी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। मामले के निष्पादन हेतु वादी का न्यायालय की कार्रवाई में सक्रिय भाग लेना अत्यंत आवश्यक है परंतु वादी की निष्क्रियता के कारण मामले में समूचे वाद की कार्रवाई लम्बित है, वादी द्वारा इस प्रस्तुत वाद में रूचि नहीं रख रहे हैं। वादी की अनुपस्थिति व उचित पैरवी न करने के कारण खारिज किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करायें।

लेखापित व संशोधित

Upendra Sah
12/02/2026
(उपेन्द्र साह)

सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

Date of Order	12-02-2026
Date of Reserving Order	22.12.2025
Uploading Date	16.03.2026
Uploaded by	Arun Prakash Kumar Mishra (D.E.O)